O/o E.D. (E&TC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 1955
Date 16 AUG 2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, में अपीलीय अधिकारी
श्री के.के.भौरासे, महाप्रबंधक (मा.सं.)

(अपील प्र.क. 09/2022 दिनांक 20.06.2022)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./09/2022/ 429 रायपुर, दिनांक 10 AUG 2022

श्री दिनेश कुमार चंद्रा अपीलार्थी
कोरबा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 10/08/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री दिनेश कुमार चंद्रा ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के निर्णय दिनांक 07.06.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज	छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर के परिपत्र कमांक 01–04/पी.डी.–08/401 दिनांक 03.03.2022 के तारतम्य में कनिष्ठ अभियंता (जन./वित./ट्रांस.) के पदों पर विभागीय परीक्षा दिनांक 10.04.2022 को आयोजित इलेक्ट्रीकल ब्रांच का प्रश्न पत्र एवं उत्तर दस्तावेज की सत्यापित प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	जन सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, (छ.ग.) में दायर याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 2537/2022 के आदेश से स्पष्ट है कि, उक्त आदेश याचिकाकर्ताओं के लिये था। उक्त आदेश में कही भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान नहीं किया जा सकता है। चाही गयी जानकारी से कोई गोपनीयता भंग नहीं होगी। साथ ही विभागीय भर्ती का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका सूचना का अधिकार से बाहर आने पर याचिकाकर्ताओं को किसी प्रकार का लाभ भी नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि उनका परीक्षा परिणाम विभाग के पास सुरक्षित है जिसमें अब कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		14/07/2022	निर्धारित तिथि को अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री चन्द्रा उपस्थित हुये। किन्तु अपरिहार्य कारणों से अपील में सुनवाई नहीं की जा सकी।
		02.08.2022	उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी तथा अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री ललित कुमार चन्द्रा उपस्थित हुए। दोनों उभय पक्ष के तर्क कथन सुने गए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गयी।

	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क–		जनसूचना अधिकारी का तर्क कथन था कि आवेदक को चाही गयी जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 921 दिनांक 07.06.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "उक्त विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है, के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है। सूचनाधिकार के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में सूचना दिये जाने को प्रतिषिद्ध किया गया है। अतएव अधिनियम की धारा 8(1)(h) के प्रावधान आकर्षित होते है। जब न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण विचाराधीन है। उसके संबंध में अन्य पक्ष को सूचना दी जाना तर्कसंगत नहीं है। न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय के समक्ष किसी मामले में कार्यवाही विचाराधीन है उससे संबंधित जानकारी न्यायालय या न्यायाधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गयी है वह विधि संगत है।

सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा पैरा 02 के तालिका (1) में कनिष्ठ अभियंता (जन./वित./ट्रांस.) विभागीय परीक्षा दिनांक 10.04.2022 के संबंध में जानकारी मांगी गयी है। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। अतः जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है। दिये गये तर्क स्वीकार योग्य है।

जब मामला न्यायाधीश (विधि के न्यायालय) के समक्ष विचारण में है, तब कोई भी जानकारी/दस्तावेज सूचनाधिकार के तहत प्रकट नहीं की जा सकती है।

(4) – उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपील प्रकरण (पंजीयन कमांक 09/2022 दिनांक 20.06.2022) एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।

(के.के.भौरासे)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर।

(2) श्री दिनेश कुमार चन्द्रा पिता श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, SE-458 सी.एस.ई.बी. कॉलोनी, कोरबा पूर्व, पिन –495677 को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर